

सराहनीय कार्य

जनपद बस्ती

दिनांक 06.04.2024

एसओजी टीम बस्ती व सर्विलांस सेल बस्ती तथा थाना रूधौली पुलिस बल की संयुक्त प्रयास से संगठित रूप से चोरी करने वाले अंतरजनपदीय 03 अभियुक्तों को सफेद धातु, पीली धातु के आभूषण तथा एक अदद देसी तमंचा 12 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर, 1 अदद नाजायज चाकू, पिलास, पेंचकस व घटना में प्रयुक्त एंड्राइड मोबाइल, कीपैड मोबाइल व एक मोटरसाइकिल के साथ किया गया गिरफ्तार-

एसओजी टीम बस्ती व सर्विलांस सेल बस्ती तथा थाना रूधौली पुलिस बल के संयुक्त प्रयास द्वारा संगठित रूप से चोरी करने वाले अन्तरजनपदीय 03 अभियुक्तों 1. प्रिंस मिश्रा पुत्र स्व0 रघुनाथ मिश्रा उम्र 21 वर्ष निवासी सिसवा सोनबरसा थाना हरपुर बुदहट जिला गोरखपुर, 2. मनोज कुमार गौड़ पुत्र रामबचन निवासी बोक्टा थाना गीडा जनपद गोरखपुर तथा 3. विजय कुमार पुत्र राम अवध उम्र 29 वर्ष निवासी बरहट थाना शादियावाद जिला गाजीपुर को सफेद धातु नया पुराना सिक्का 14 अदद, सफेद धातु 01 जोड़ी पायल, एक अदद सफेद धातु हाफ करधन, 01 अदद पीली धातु लाकेट, 01 अदद पीली धातु मर्दाना अंगूठी, 01 जोड़ी झुमकी पीली धातु, 01 जोड़ी सुई धागा पीली धातु, 01 जोड़ी मध्य साइज बाली पीली धातु, 01 अदद छोटी साइज बाली पीली धातु, 01 अदद अंगूठी लेडिज पीली धातु, 01 जोड़ी कान का झाला पीली धातु, 01 अदद देसी तमंचा 12 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर 01 अदद नाजायज चाकू, 01 अदद पिलास, एक अदद पेंचकस व घटना में प्रयुक्त 02 अदद एंड्राइड मोबाइल, 01 अदद कीपैड मोबाइल, एक मोटरसाइकिल पल्सर N160 संबंधित मु0अ0सं0

65/2024 धारा 457/380/411 आईपीसी थाना रुधौली जनपद बस्ती व जुर्म धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना रुधौली जनपद बस्ती में बासी मार्ग पर कोहरा बड़ी नहर पुलिया हनुमानगंज मोड के पास से समय 3.10 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में व बरामद सामानों को कब्जा पुलिस में लिया गया । दौरान गिरफ्तारी व वरामदागी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशों का पालन किया गया। बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय बस्ती रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. प्रिंस मिश्रा पुत्र स्व0 रघुनाथ मिश्रा उम्र 21 वर्ष निवासी सिसवा सोनबरसा थाना हरपुर बुदहट जिला गोरखपुर
2. मनोज कुमार गौड़ पुत्र रामबचन निवासी बोक्टा थाना गीडा जनपद गोरखपुर
3. विजय कुमार पुत्र राम अवध उम्र 29 वर्ष निवासी बरहट थाना शादियावाद जिला गाजीपुर बरामदगी का विवरण-

1. सफेद धातु नया पुराना सिक्का 14 अदद,
2. सफेद धातु 01 जोड़ी पायल,
3. एक अदद सफेद धातु हाफ करधन,
4. 01 अदद पीली धातु लाकेट,
5. 01 अदद पीली धातु मर्दाना अंगूठी,
6. 01 जोड़ी झुमकी पीली धातु,
7. 01 जोड़ी सुई धागा पीली धातु,
8. 01 जोड़ी मध्य साइज बाली पीली धातु,
9. 01 अदद छोटी साइज बाली पीली धातु,
10. 01 अदद अंगूठी लेडिज पीली धातु,
11. 01 जोड़ी कान का झाला पीली धातु,

12. 01 अदद देसी तमंचा 12 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर
13. 01 अदद नाजायज चाकू,
14. 01 अदद पिलास,
15. एक अदद पेंचकस
16. घटना में प्रयुक्त 02 अदद एंड्राइड मोबाइल(01 रियलमी एंड्राइड मोबाइल, एक अदद मोबाइल infinix) व 01 अदद कीपैड मोबाइल(मोबाइल कीपैड लावा)
17. बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल पल्सर N160

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि तीनों लोगों द्वारा मोटरसाइकिल से घटना के दिन दिनांक 27/28.03.2024 की रात मे ताला तोड़कर चोरी किया गया था, अभियुक्त गणों के कब्जे से बरामद पीली व सफेद धातु के आभुषण व 14 अदद सफेद धातु के सिक्के को पहचान कर वादी व उनकी पत्नी द्वारा बताया कि साहब यह सारे सामान हमारे हैं, जिसको इन लोगो द्वारा दिनांक 27/28.02.24 कि रात्रि मे चोरी कर लिया गया था। पकड़े गए अभियुक्त से 12 बोर तमंचा व कारतूस रखने का अधिकार पत्र मांगा गया तो अपनी गलती की माफी मांगते हुए बताया कि साहब मुझसे गलती हो गई मुझे माफ कर दिया जाए।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27/28.03.2024 की रात को कोहरा गांव में एक सुनसान बंद मकान का ताला तोड़कर जेवरात की चोरी किए गये थे। जिसमें वादी के तहरीरी सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 65/2024 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 शशि शेखर सिंह थाना रूधौली को दी गयी थी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. SOG प्रभारी उ०नि० जनार्दन प्रसाद एसओजी टीम बस्ती।
2. प्रभारी सर्विलांस उ०नि० शशिकांत सर्विलांस सेल बस्ती।
3. उ०नि० शशि शेखर सिंह थाना रूधौली जनपद बस्ती।
4. का० नवेश्वर कुमार, का० विनोद कुमार, का० अमित सिंह थाना रूधौली जनपद बस्ती।
5. का० रमेश यादव, हे०का० इरशाद खान, हे०का० धर्मेन्द्र कुमार, का० चंदन कुमार एसओजी टीम बस्ती।
6. हे०का० देवेश यादव, का० संतोष यादव सर्विलांस सेल बस्ती।

